FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0132 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/05/2026 14:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	409
4	भा दं सं 1860	420
5	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2015 **Date To (दिनांक तक):** 26/07/2017

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/05/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/05/2026 14:33:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 200 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT 17 K.N.D.-A, PANCHAYAT SAMITI GHADHSANA, JILA SHRIGANGANAGAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** SATISH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MANIRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VPO 17,K.N.D. A, RAWALA, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VPO 17,K.N.D. A, RAWALA, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	INDRA DEVI		पत्नी:SANTOSH KUMAR	1. V.P.O.17,K.N.D-A/KHANOOWALI,RAVAL,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
2	ONKAR SINGH		पिता:LAL SINGH	1. CHAK 23 S.T.G. POST DULMANA,PILIBANGA,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,45,945.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,45,945.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,निवेदन है कि परिवादी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी 17 केएनडी-ए तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर द्वारा ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए के संरपच के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने बाबत एक लिखित शिकायत दिनांक 12.02.2019 को ब्यूरो मुख्यालय में प्रेषित की गई। जिसमें अंकित किया कि ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए के संरपच द्वारा ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए में बहुत फर्जीवाडा करके लाखो रूपयो का गबन कर रखा है। ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए के पंचायत घर में इन्टर लोकिंग/खेतो में पेयजल डिग्गीया पूर्व में बनी हुई डिग्गीयां की टी एफ सी में दिनांक 20.11.2014 व क्रमांक 1521 को बनी डिग्गीयां को अन्य योजनाओं एफ एफ सी में दिनांक 30.05.2017 क्रमांक 505 को स्वीकृत करवाकर फर्जीवाडा किया गया है। जरूरतमंद लोग डिग्गी निर्माण के लिये भटक रहे है। गउशाला की चार दिवारी पूर्व में जनता के सार्वजनिक चन्दे से बनी है जिसका भी बजट दिनांक 25.04.2017 को एफ एफ सी योजना के तहत क्रमांक 5010 के द्वारा 3,32,000/-रूपये पास करवा लिये है। ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए के वार्ड नम्बर 6 में खेली व ठान भी अभी तक नही बनवाये है। इसका बजट भी 1,81,000/-रूपये दिनांक 25.04.2017 को पास करवा रखे है। ग्राम पंचायत 17 केएनडी -ए में मिटटी भर्ती व पार्क निर्माण के लिए दिनांक 05.11.2016 को एफएफसी-जीपी योजना के तहत 2,50,000/-रूपये स्वीकृत करवाये गये, वो भी आज दिनांक तक कही लगाये नजर नही आ रहे है। 20 केएनडी के राजकीय प्राथमिक विघालय में एफएफसी-वी-जीपी योजना के तहत पार्क निर्माण के लिए दिनांक 15.09.2016 को राशि 1,41,000 /रूपये स्वीकृत करवाई गई है, जो की पार्क आज तक नही बना है। दिनांक 30.03.2015 को टीएफसी में सुवासिंह की ढाणी से जीएलआर तक 19 के एन डी जीएलआर से 21 के एन डी, जीएलआर तक दिनांक 25.03.2015 को टीएफसी में शेर सिंह के घर से वाटर वर्क्स तक पीवीसी लाईन आज दिनांक तक नही डाली है। बीपीएल राशनकार्ड गरीब व जरूरत मंद के न बनाकर बडे लोगो से 7000-7000 रूपये लेकर बनाये गये है। शौचालय व शेड निर्माण गरीबों व जरूरत मंदो को न देकर, प्रभावशाली लोगो को देकर बिना निर्माण स्वीकृत किये। इनके प्रभाव से अन्य विकास कार्यो में फर्जीवाडा करके कई कार्यो में घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ है। गलत ओडीएफ के कारण अब गरीबो के शौचालय बने ही नही और प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता राशि में से 12-12 हजार रूपये काट लिये जाते है और गली से खड़वंजे उखाड़ कर अपने खेतो में ले गये सही ग्राम विकास अधिकारी अमरजीत मीणा को हटाकर कार्यवाहक जिसके पास पहले से पंचायत है और भ्रष्टाचार करने के लिये ग्राम विकास अधिकारी देवीलाल को लगाया गया है, जिसके पास पूर्व में भी अन्य पंचायत है। इससे पहले के 2015 के कार्य इसी ग्राम विकास अधिकारी के गबन किये है। कई कच्चे पक्के कार्य किये बिना ही सीसी जारी करवा लेते है। कुछा लोगो ने भ्रष्टाचार का विरोध किया तो प्रभावशाली लोगो के कहने पर ग्राम के मुख्य पद पर होते हुये सरपंच ने पढे लिखे होते हुये पद की गरिमा को न समझ कर धन के लिये झूठा छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवा दिया, गरीबो को ना योजनाओ का लाभ मिलता है ना मनरेगा मे पुरी मजदूरी मिलती है, मनरेगा में भी फर्जीवाड़ा करके जो मनरेगा में नही जाते है, उनकी ही कार्य दिवस व मजदुरी पुरी आती है। 21 केएनडी आबादी से पूर्व सरपंच ने गरीब परिवारो को पट्टे काट कर दिये थे, इस सरपंच ने उन्ही पट्टो पर अन्य लोगो से रूपये लेकर पूर्व के पट्टो पर पट्टे काट दिये और कहा कि पूर्व में काटे गये पट्टे फर्जी है। ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व में बॉस्केट बॉल स्टेडियम बना हुआ है, जिसकी दिनांक 04.09.2015 को राशि 5,00,000/-रूपये फिर से स्वीकृत करवा लिये गये है और वो भी स्टेडियम के विकास कार्यो में नही लगाये है। ग्रांम 17 केएनडी-ए में सार्वजनिक डिग्गी बनी थी, जिसकी वर्ष 2009-10 के लगभग 5 लाख से मरम्मत व चार दिवारी उंची की गई थी। जिसका कनेक्शन पाईप लाईन से जोडकर वाटर वर्क्स से जोडी हुई थी, उस डिग्गी को भी नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार कुछ दबंग लोगो को लाभ देकर उनकी आड़ में भ्रष्टाचार करके गरीबो व सरकार को हानि करके स्वंय

के लिये धन संग्रह कर रहा है आदि। जिस पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा शिकायत आर नं0 918/2019 दिनांक 25.02.2019 पर परिवाद संख्या 70/19 दिनांक 07.03.2019 दर्ज कर अतिरिक्त उपायुक्त एवं शासन उप सचिव ii (जांच) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ3(13) जांच/पंराविं/श्रीगंगानगर/2022/ई-फाइल नं. 00414 जयपुर दिनांक 29.02.2024 से धारा 17-ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के द्वारा जांच/अनुसंधान प्रारम्भ करने हेतु पूर्वानुमोदन प्राप्त किया गया है। उक्त आरोपो पर प्रा.जा.सं. 25/2025 दिनांक 17.03.25 विरूद्ध श्रीमति इन्द्रा देवी ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए पंचायत समिति घडसाना जिला श्रीगंगानगर एवं के दर्ज होकर प्राप्त होने पर श्री वेदप्रकाश लखोटिया उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 07.05.25 तक, तत्पष्चात श्री भुपेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान सुसंगत दस्तवेज प्राप्त कर सम्बधिंत गवाहान के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी श्री औंकारसिंह तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण लेकर शामिल पत्रावली किये गये। श्रीमती इन्द्रा देवी तत्कालीन सरपंच द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं किया। जांच से पाया गया कि सार्वजनिक पेय जल डिग्गी निर्माण जगदीष धायल के खेत पास 19 केएनडी की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति क्रमांक 505 दिनांक 30.05.2017 श्रम पेटे 29906 रूपये व सामग्री पेटे 64094 कुल 94000 रूपये की स्वीकृति सरपंच इन्द्रा देवी व सचिव औंकार सिंह के हस्ताक्षर से जारी हुई है। तकनिकी स्वीकृति क्रमांक 974 दिनांक 23.04.2017 श्री जगदीश चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति घड़साना द्वारा जारी की गई। ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए द्वारा मस्ट्रोल संख्या 18996 दिनांक 11.07.2017 से 23.07.2017 तक श्रमिकों से कार्य करवाया गया है तथा श्रमिको को भुगतान नगद किया गया है। इस मस्ट्रोल से कुल 29832 रूपये का भुगतान किया गया है। उक्त मस्ट्रोल पर सरंपच श्रीमती इन्द्रा देवी व सचिव श्री औंकारसिंह के हस्ताक्षर है। कार्य हेतु स्वामी कंस्ट्रक्शन कम्पनी 13 केएनडी के बिल नम्बर 08 दिनांक 01.06.2017 राशि 64057 से ईंट, सीमेंट, बजरी, ग्रीट आदि सामग्री ली गई है। उक्त कार्य की एमबी तथा यूसी, सीसी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जांच कमेटी ने पेय जल डिग्गी निर्माण जगदीश धायल के खेत के पास 19 केएनडी-ए कार्य का मौके पर नाप तोल कर मुल्यांकन किया गया तो कार्य पेटे 28073/- रूपये की वसूली पाई गई जिसके लिए श्री औंकार सिंह सचिव व श्रीमती इन्द्रा देवी सरपंच को दोषी माना। जांच से पाया गया कि सार्वजनिक पेय जल डिग्गी निर्माण जगदीश के खेत पास 19 केएनडी-ए की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति व तकनिकी स्वीकृति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए द्वारा मस्ट्रोल संख्या 12503 दिनांक 01.01.2015 से 11.01.2015 राशि 22280/- रूपये व मस्ट्रोल संख्या 13051 दिनांक 16.01.2015 से 20.01.2015 तक राशि 8558/- रूपये कुल 30838 का श्रम कार्य करवाकर श्रमिको को नगद भुगतान किया गया है। उक्त मस्ट्रोलों पर सरंपच श्री सुरजपालसिंह व सचिव श्री औंकारसिंह के हस्ताक्षर है। कार्य हेतु पुनियां टरेडर्स 17 केएनडी के बिल नम्बर 38 दिनांक 16.10.2014 राशि 68441 से ईंट, सीमेंट,बजरी,ग्रीट आदि सामग्री ली गई है। उक्त कार्य की एमबी तथा यूसी, सीसी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जांच कमेटी ने पेय जल डिग्गी निर्माण जगदीश गोदारा के खेत के पास 19 केएनडी-ए कार्य का मौके पर नाप तोल कर मुल्यांकन किया गया तो कार्य पेटे 36557/- रूपये की वसूली पाई गई जिसके लिए श्री औंकार सिंह सचिव व श्री सूरजपाल सिंह सरपंच को दोषी माना। जांच से पाया गया कि चार दिवारी निर्माण मय गेट गौशाला परिसर में 17 केएनडी-ए की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति क्रमांक 501 दिनांक 25.04.2017 श्रम पेटे 111145 रूपये व सामग्री पेटे 220855 कुल 332000 रूपये की स्वीकृति सरपंच इन्द्रा देवी के हस्ताक्षर से जारी हुई है। तकनिकी स्वीकृति क्रमांक 975 दिनांक 23.04.2017 श्री जगदीश चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति घड़साना द्वारा जारी की गई। ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए द्वारा मस्ट्रोल संख्या 18983 दिनांक 11.07.2017 से 23.07.2017 तक राशि 31344 रूपये, 18984 दिनांक 11.07.2017 से 23.07.2017 तक राशि 31344 रूपये, 18985 दिनांक 11.07.2017 से 23.07.2017 तक राशि 31344 रूपये, 18986 दिनांक 18.07.2017 से 26.07.2017 तक राशि 17063 रूपये कुल 111095 रूपये का कार्य श्रमिकों से ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया है। उक्त मस्ट्रोलों पर श्रीमति इन्द्रा देवी सरपंच व सचिव औंकारसिंह के हस्ताक्षर है। कार्य हेतु स्वामी कंस्ट्रक्शन कम्पनी 13 केएनडी के बिल नम्बर 01 दिनांक 25.05.2017 राशि 220370 से ईंट, सीमेंट, बजरी, आदि सामग्री ली गई है। इस बिल को इन्द्रा देवी द्वारा प्रमाणित किया गया है। उक्त कार्य की एमबी तथा यूसी, सीसी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जांच कमेटी ने चार दिवारी निर्माण मय गेट गौशाला परिसर में 17 केएनडी-ए कार्य का मौके पर नाप तोल कर मुल्यांकन किया गया तो कार्य पेटे 190477/- रूपये की वसूली पाई गई जिसके लिए श्री औंकार सिंह सचिव व श्रीमती इन्द्रा देवी सरपंच को दोषी माना। जांच से पाया गया कि पशु खेली निर्माण वार्ड नम्बर 06 में 17 केएनडी-ए की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति क्रमांक 501 दिनांक 25.04.2017 श्रम पेटे 42984 रूपये व सामग्री पेटे 220016 कुल 263000 रूपये की स्वीकृति सरपंच इन्द्रा देवी के हस्ताक्षर से जारी हुई है। तकनिकी स्वीकृति क्रमांक 998 दिनांक 23.04.2017 पत्रावली में लगी हुई है परन्तु इस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए द्वारा मस्ट्रोल संख्या 18987 राशि 26120 रूपये, 18988 दिनांक 16.07.2017 से 26.07.2017 तक राशि 26120 रूपये, 18989 दिनांक 16.07.2017 से 21.07.2017 तक राशि 11049 रूपये तक श्रम कार्य करवाया गया है। मस्ट्रोल संख्या 18987 में पखवाडे की दिनांक अंकित नहीं है। उक्त मस्ट्रोलों पर श्रीमति इन्द्रा देवी सरपंच व सचिव श्री औंकारसिंह के हस्ताक्षर है। कार्य हेतु स्वामी कंस्ट्रक्शन कम्पनी 13

केएनडी के बिल नम्बर 02 दिनांक 26.05.2017 राशि 116538 से ईंट, सीमेंट, बजरी, आदि सामग्री ली गई है। उक्त कार्य की एमबी तथा यूसी, सीसी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में पशु खेली निर्माण वार्ड नम्बर 06 में 17 केएनडी-ए कार्य मौके पर सही होना माना। जांच से पाया गया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय वृक्षारोपण एवं पार्किंग व सौंदर्यकरण 20 केएनडी की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 10 दिनांक 20.08.2016 तथा वितिय स्वीकृति क्रमांक 112 दिनांक 15.09.2016 द्वारा जारी की गई है। श्रम पेटे 67258 रूपये व सामग्री पेटे 73742 कुल 141000 रूपये की स्वीकृति सरपंच इन्द्रा देवी के हस्ताक्षर से जारी हुई है। तकनिकी स्वीकृति क्रमांक 289 दिनांक 13.9.2016 श्री हरिकृष्ण सिहाग सहायक अभियन्ता पंचायत समिति घड़साना द्वारा जारी की गई है। ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए द्वारा मस्ट्रोल संख्या 16679 दिनांक 01.10.2016 से 11.10.2016 राषि 27080 रूपये, 16678 दिनांक 16.09.2016 से 26.09.2016 राशि 27080 रूपये, 16680 दिनांक 16.10.2016 से 21.10.2016 राशि 13350 रूपये का श्रम कार्य करवाया गया है। उक्त मस्ट्रोलों पर श्रीमति इन्द्रा देवी सरपंच व सचिव श्री औंकारसिंह के हस्ताक्षर है। कार्य हेतु स्वामी कंस्ट्रक्षन कम्पनी 13 केएनडी के बिल नम्बर 43 दिनांक 01.10.2016 राशि 61972 से मिट्टी ली गई है। उक्त कार्य की एमबी तथा यूसी, सीसी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। बास्केट बॉल स्टेडियम निर्माण कार्य तथा मिट्टी भर्ती एवं पार्क निर्माण 17 केएनडी कार्यो का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। जांच कमेटी ने अपनी जांच में बास्केट बॉल स्टेडियम निर्माण रा.उ.मा विद्यालय 17 केएनडी-ए कार्य का मौके निरीक्षण किया गया तो कार्य पेटे 90838 रूपये गबन पाया गया जिसके लिए श्री औंकार सिंह सचिव व श्रीमती इन्द्रा देवी सरपंच को दोषी माना। जांच से पाया गया कि श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 2411-15 दिनांक 14.10.2022 द्वारा ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए द्वारा करवाये गये कार्या की जांच हेतु एक टीम का गठन किया गया जिसमें श्री शिवभगवान रैगर विकास अधिकारी पंचायत समिति घड़साना, श्री अषोक कुमार सहायक लेखाधिकारी द्वितीय पंचायत समिति अनूपगढ व श्री जसप्रीतसिंह सहायक अभियन्ता को शामिल किया गया। कमेटी के तीनों सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए द्वारा करवायो गये कार्या का मौका निरीक्षण किया, निर्माण कार्यो का मुल्यांकन किया गया तथा ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा शिकायतकर्ता श्री सतीश कुमार के बयान लिये जाकर जांच रिपोर्ट तैयार कर विकास अधिकारी पंचायत समिति घड़साना के पत्रांक दिनांक 28.08.2023 द्वारा जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर को प्रेषित की थी। जांच कमेटी ने अपनी जांच पाया गया कि इन्टर लॉकिंग ब्लॉक सड़क निर्माण पंचायत घर 17 केएनडी-ए कार्य मौके पर सही होना पाया गया। पेय जल डिग्गी निर्माण जगदीश धायल के खेत के पास 19 केएनडी-ए कार्य का मौके पर नाप तोल कर मुल्यांकन किया गया तो कार्य पेटे 28073/- रूपये की वसूली पाई गई जिसके लिए श्री औंकार सिंह सचिव व श्रीमती इन्द्रा देवी सरपंच को दोषी माना। पेय जल डिग्गी निर्माण जगदीश गोदारा के खेत के पास 19 केएनडी-ए कार्य का मौके पर नाप तोल कर मुल्यांकन किया गया तो कार्य पेटे 36557/- रूपये की वसूली पाई गई जिसके लिए श्री औंकार सिंह सचिव व श्री सूरजपाल सिंह सरपंच को दोषी माना। चार दिवारी निर्माण मय गेट गौशाला परिसर में 17 केएनडी-ए कार्य का मौके पर नाप तोल कर मुल्यांकन किया गया तो कार्य पेटे 190477/- रूपये की वसूली पाई गई जिसके लिए श्री औंकार सिंह सचिव व श्रीमती इन्द्रा देवी सरपंच को दोषी माना। पशु खेली निर्माण वार्ड नम्बर 06 में 17 केएनडी-ए कार्य मौके पर सही होना पाया गया। रा.प्रा.वि. में वृक्षारोपण व सौदर्यकरण 20 केएनडी का कार्य सही होना पाया गया। बास्केट बॉल स्टेडियम निर्माण रा.उ.मा विद्यालय 17 केएनडी-ए कार्य का मौके निरीक्षण किया गया तो कार्य पेटे 90838 रूपये गबन पाया गया जिसके लिए श्री औंकार सिंह सचिव व श्रीमती इन्द्रा देवी सरपंच को दोषी माना। मिट्टी भर्ती एवं पार्क निर्माण 17 केएनडी-ए कार्य की रिकॉर्ड के अभाव में जांच नहीं की जा सकी। सार्वजनिक पेय जल डिग्गी निर्माण 17 केएनडी-ए कार्य का भौतिक सत्यापन के समय वार्ड नम्बर 05 व 09 के पूर्व वार्ड पचों व ग्रामीणों के बयान लिये गये तो पाया गया कि उक्त डिग्गी लगभग 35 वर्ष पूर्व निर्मित हुई थी जिसमें जान माल व बच्चों के गिरने का अंदेशा बना रहता था जिसके कारण ग्राम पंचायत द्वारा उक्त डिग्गी में मिट्टी भर्ती करवाकर डिग्गी को बंद करवा दिया गया। भौतिक सत्यापन के समय वर्तमान में डिग्गी के स्थान पर इन्टर लॉकिंग चौक का निर्माण होना पाया गया। ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए में बीपीएल राशन कार्ड गरीब व जरूरतमंदों के ना बनाकर बडे लोगों से 7-7 हजार रूपये लेकर बनाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए में शौचालय व शेड निर्माण गरीबों व जरूरतमंदो को न बनाकर प्रभावशाली लोगों को देकर बिना बनाये स्वीकृत किये का आरोप जांच से प्रमाणित नहीं पाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता राशि में से 12000/- रूपये काटने का आरोप जांच से प्रमाणित नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत 17 केएनडी-ए में 21 केएनडी आबादी में पूर्व सरपंच ने गरीब परिवारों को पट्टे काटकर दिये थे, इस सरपंच ने उन्ही पट्टों पर अन्य लोगों से रूपये लेकर पूर्व के पट्टों पर पट्टे काट दिये और उन्होने कहा कि पूर्व में काटे गये पट्टे फर्जी है का आरोप जांच से प्रमाणित नहीं पाया गया। जांच से कुल 345945/- रूपये की वसूली में से 90838/- रूपये गबन पाया गया। जिसके लिए श्री औंकार सिंह सचिव, श्रीमती इन्द्रा देवी सरपंच को दोषी माना। कुल वसूली राशि 345945/- में से 36557/- रूपये के लिए श्री औंकार सिंह सचिव, श्री सुरजपाल सिंह सरपंच दोषी है। श्री सुरजपाल सिंह तत्कालीन सरपंच फोत हो चुका है। अतः आरोपीगण श्रीमति इन्द्रा देवी तत्कालीन सरपंच एवं श्री औंकार सिंह तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत

17 केएनडी-ए जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध जुर्म धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं 409, 420 एवं 120 बी भा.द.स. के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (पवन कुमार मीणा) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पवन कुमार मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409, 420 एवं 120 बी भा.द.स. में आरोपियान 1- श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नी श्री संतोष कुमार उम्र 29 निवासी वीपीओ 17 के.एन.डी.-ए (खानूवाली) तहसील रावला तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत 17 के.एन.डी.-ए, पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं 2-श्री औंकार सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी चक 23 एस.टी.जी. पोस्ट ऑफिस दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 17 के.एन.डी.-ए, पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती सुधा पालावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 955 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 820-25 दिनांक 18.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर 3 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर, 4-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 5- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम 6- अति. पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जॉच 25/25)ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SUDHA PALAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/05/2026 14:35:41

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1997				
2	Male	1963				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)